



माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल

ई-मेल : mpbse@mp.nic.in वेब साइट : www.mpbse.nic.in

कार्या :-(0755) 2551166, (EPBX No. 111)

भोपाल, दिनांक 02/01/2018

क्रमांक / 273 / गोपनीय / 2018

// आदेश //

वर्ष 2018 की हाईस्कूल, हायर सेकेण्डरी परीक्षा, हायर सेकेण्डरी व्यावसायिक पाठ्यक्रम, पूर्व प्राथमिक प्रशिक्षण पत्रोपाधि एवं शारीरिक प्रशिक्षण परीक्षा के नियमित छात्रों की प्रायोगिक परीक्षाएँ उनसे संबंधित अध्ययनरत् शालाओं में दिनांक 12 फरवरी से 26 फरवरी 2018 के मध्य तथा स्वाध्यायी छात्रों की प्रायोगिक परीक्षाएँ परीक्षा केन्द्र में दिनांक 07 मार्च से 31 मार्च 2018 के मध्य सम्पन्न की जाएगी।

2. प्रायोगिक परीक्षाओं का संचालन सुव्यवस्थित रूप से निर्धारित समयावधि में सम्पन्न किये जाने हेतु निम्नानुसार कार्यक्रम घोषित किया जाता है।

परीक्षा का नाम	प्रायोगिक परीक्षाएँ सम्पन्न करवाने की अवधि	समन्वयक शाला में प्रायोगिक परीक्षा की उत्तरपुरितका एवं अंक प्राप्त होने की तिथि	संभागीय कार्यालय द्वारा समन्वयक संस्था से अंक प्राप्त करने का विवरण	संभागीय कार्यालय से मुख्यालय में अंक प्राप्त होने की अंतिम तिथि
1	2	3	4	5
हाईस्कूल/हायर सेकेण्डरी एवं हा. से. व्यावसायिक पाठ्यक्रम पूर्व प्राथमिक प्रशिक्षण पत्रोपाधि एवं शारीरिक प्रशिक्षण परीक्षा वर्ष 2018 (नियमित एवं स्वाध्यायी)	(i) नियमित छात्रों की प्रायोगिक परीक्षा 12 फरवरी से 26 फरवरी के मध्य संस्था में। (ii) स्वाध्यायी छात्रों की प्रायोगिक परीक्षा केन्द्र में दिनांक 07 मार्च से 31 मार्च के मध्य सम्पन्न होगी।	संबंधित संस्था की समस्त विषयों की प्रायोगिक परीक्षा सम्पन्न होने से अगले दिन नियमित हेतु- (i) 27 फरवरी 2018 (ii) स्वाध्यायी हेतु 01 अप्रैल 2018	(i) नियमित छात्रों के अंक 28 फरवरी एवं (ii) स्वाध्यायी छात्रों के अंक 02 अप्रैल 2018 तक समन्वय संस्था से संभागीय अधिकारी अपने कर्मचारी भेजकर अंक प्राप्त करेंगे।	नियमित हेतु 06 मार्च 2018 व स्वाध्यायी हेतु 06 अप्रैल 2018

3. प्रायोगिक परीक्षाओं के संचालन हेतु निम्न संस्थाओं को समन्वयक संस्था एवं संस्था के प्राचार्य को समन्वयकर्ता अधिकारी नियुक्त किया जाता है।

क्र.	जिला	समन्वयक संस्था का नाम	क्र.	जिला	समन्वयक संस्था का नाम
1	मुरैना	शा. उत्कृष्ट उ.मा.वि. मुरैना	27	आगरा	शा. उत्कृष्ट उ.मा.वि. आगरा
2	श्यापुर	शा. बालक उत्कृष्ट उ.मा.वि. श्यापुर कला	28	झाबुआ	शा. उत्कृष्ट उ.मा.वि. झाबुआ
3	भिण्ड	शा. उत्कृष्ट उ.मा.वि. क्र.1 भिण्ड	29	धार	शा. उत्कृष्ट उ.मा.वि. क्र.1 घोडा चौपाटी धार
4	ग्वालियर	शा. पद्मा कन्या उ.मा.वि. लश्कर	30	इन्दौर	शा. मालव कन्या उ.मा.वि. मोतीतबेला, इन्दौर
5	दतिया	शा. उत्कृष्ट उ.मा.वि. दतिया	31	खरगोन	शा. डी.ए. बालक उत्कृष्ट उ.मा.वि. क्र. 1 खरगोन
6	शिवपुरी	शा. उत्कृष्ट उ.मा.वि. शिवपुरी	32	बड़वानी	शा. बालक उत्कृष्ट उ.मा.वि. क्र.1 बड़वानी
7	गुना	शा. उत्कृष्ट उ.मा.वि. गुना	33	खण्डवा	शा. रायचन्द्र नागड़ा बहु. उत्कृष्ट उ.मा.वि. खण्डवा
8	अशोकनगर	शा. उत्कृष्ट उ.मा.वि. अशोकनगर	34	बुरहानपुर	शा. सुभाष उ.मा.वि. बुरहानपुर
9	टीकमगढ़	शा. उत्कृष्ट उ.मा.वि. क्र.1 टीकमगढ़	35	अलीराजपुर	शा. सरप्रताप उत्कृष्ट उ.मा.वि. अलीराजपुर
10	छतरपुर	शा. उत्कृष्ट उ.मा.वि. क्र.1 छतरपुर	36	राजगढ़	शा. बालक उत्कृष्ट उ.मा.वि. राजगढ़
11	पन्ना	शा. आर.पी. उत्कृष्ट उ.मा.वि. पन्ना	37	विदिशा	शा. उत्कृष्ट उ.मा.वि. विदिशा
12	सागर	शा. एम.एल.बी. कन्या उ.मा.वि. क्र.1, सागर	38	भोपाल	गोंडल उ.मा.वि. टी.टी. नगर भोपाल
14	दमोह	शा. उत्कृष्ट उ.मा.वि. दमोह	39	सीहोर	शा. बालक उत्कृष्ट उ.मा.वि. क्र.1 सीहोर
14	सतना	शा. व्यंकट उत्कृष्ट उ.मा.वि. क्र.1 सतना	40	रायसेन	शा. बालक उत्कृष्ट उ.मा.वि. रायसेन
15	रीवा	शा. मार्तण्ड उ.मा.वि. क्र.-1 रीवा	41	बैतूल	शा. बहु. उत्कृष्ट उ.मा.वि. बैतूल
16	शहडोल	शा. रघुराज उत्कृष्ट उ.मा.वि. क्र.2 शहडोल	42	होशंगाबाद	शा. एस.एन.जी उ.मा.वि. होशंगाबाद
17	उमरिया	शा. बालक उत्कृष्ट उ.मा.वि. उमरिया	43	हरदा	शा. डा. बी.आर. अम्बेडकर उत्कृष्ट उ.मा.वि. हरदा
18	सीधी	शा. उ.मा.वि. क्र. 2 सीधी	44	जबलपुर	शा. एम.एल.बी. कन्या उ.मा.वि. जबलपुर
19	अनूपपुर	शा. उत्कृष्ट उ.मा.वि. चेतना नगर अनूपपुर	45	कटनी	शा. उत्कृष्ट उ.मा.वि. माधवनगर कटनी
20	सिंगरोली	शा. बालक उ.मा.वि. बैदना, सिंगरोली	46	नरसिंहपुर	शा. उ.मा.वि. नरसिंहपुर
21	मंदसौर	शा. उत्कृष्ट उ.मा.वि. क्र. 1 मंदसौर	47	मण्डला	शा. उ.मा.वि. क्र.2 मण्डला
22	नीमच	शा. उत्कृष्ट उ.मा.वि. क्र.1 नीमच	48	छिन्दोरी	शा. उत्कृष्ट उ.मा.वि. छिन्दोरी
23	रतलाम	शा. बालक उत्कृष्ट उ.मा.वि. क्र.2 रतलाम	49	छिन्दवाड़ा	शा. उत्कृष्ट उ.मा.वि. छिन्दवाड़ा
24	उज्जैन	शा. कन्या उ.मा.वि. सराफा उज्जैन	50	सिवनी	शा. उत्कृष्ट उ.मा.वि. सिवनी
25	शाजापुर	शा. उत्कृष्ट उ.मा.वि. शाजापुर	51	बालाघाट	शा. उत्कृष्ट उ.मा.वि. बालाघाट
26	देवास	शा. एस.एन.बा. उत्कृष्ट उ.मा.वि. क्र.2 देवास			

4. बाह्य एवं आंतरिक मूल्यांकनकर्ता की नियुक्ति

4.1 नियमित एवं स्वाध्यायी छात्रों की प्रायोगिक परीक्षा के लिये आंतरिक मूल्यांकनकर्ता की नियुक्ति संबंधित शाला के प्राचार्य द्वारा अपनी संस्था में कार्यरत संबंधित विषय के शिक्षकों में से की जायेगी।

4.2 हाईस्कूल विज्ञान विषय की प्रायोगिक परीक्षा में आंतरिक मूल्यांकनकर्ता की नियुक्ति, बाह्य मूल्यांकनकर्ता के विषय समूह के पूरक के रूप में की जाये। उदाहरण के लिये यदि बाह्य परीक्षक भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र ग्रुप का है तो आंतरिक मूल्यांकनकर्ता जीव विज्ञान, रसायन शास्त्र ग्रुप का नियुक्त किया जाये।

4.3 यदि अपवादित स्वरूप में, एक ही मूल्यांकनकर्ता को एक से अधिक शाला में बाह्य मूल्यांकनकर्ता नियुक्त किया जाता है तो यह सुनिश्चित किया जाये की ऐसी शालाओं की प्रायोगिक परीक्षाओं की तिथियाँ अलग-अलग हों।

- 4.4 यदि किसी बाह्य मूल्यांकनकर्ता के समय पर उपस्थित नहीं होने के कारण प्रायोगिक परीक्षा प्रभावित होती है तो, जिले की समन्वय संस्था के प्राचार्य तत्काल जिला शिक्षा अधिकारी से संपर्क कर चयनित सूची से अन्य बाह्य मूल्यांकनकर्ता की व्यवस्था करावेंगे।
- 4.5 एक बाह्य मूल्यांकनकर्ता को उतने ही छात्र आवंटित किये जावें जिनकी परीक्षा एक दिन में अच्छी तरह से ली जा सके।
- 4.6 एक मूल्यांकनकर्ता को एक ही विषय की प्रायोगिक परीक्षा के लिये बाह्य मूल्यांकनकर्ता नियुक्ति किया जावे, भले ही वह दो विषयों में योग्यता धारण करते हो।
- 4.7 जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित समिति के निर्णयानुसार जिला शिक्षा अधिकारी/सहायक आयुक्त/जिला संयोजक आदिम जाति कल्याण, बाह्य मूल्यांकनकर्ता की नियुक्ति का कार्य 01/02/2018 तक पूर्ण करके शालाओं को आवंटित मूल्यांकनकर्ता की सूची 05/02/2018 तक संबंधित समन्वय संस्थाओं को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। इसकी एक प्रति मण्डल मुख्यालय के गोपनीय कक्ष को भी आवश्यक रूप से उपलब्ध करावें।
- 4.8 बाह्य मूल्यांकनकर्ता के नियुक्ति पत्र चार प्रतियों में तैयार किये जावेंगे, जिसमें से एक प्रति मूल्यांकनकर्ता को, द्वितीय प्रति संबंधित मूल्यांकनकर्ता की संस्था प्राचार्य को, तृतीय प्रति जिस संस्था पर बाह्य मूल्यांकनकर्ता नियुक्त किया गया है, के प्राचार्य/अग्रेषण संस्था को प्रेषित की जायेगी, तथा चतुर्थ प्रति कार्यालय प्रति के रूप में रखी जावें। यह ध्यान रखा जावें कि किन्ही दो शालाओं के शिक्षकों को एक दूसरे में परस्पर बाह्य मूल्यांकनकर्ता नियुक्त न किया जावे तथा एक ही संकाय के दो विषयों में एक संस्था पर बाह्य मूल्यांकनकर्ता एक ही संस्था के नियुक्त न हो।
5. प्रायोगिक परीक्षा के अंक प्रेषण :-
- 5.1 जिले की समन्वयक संस्था के प्राचार्य द्वारा जिले की शालाओं के संबंध में निम्न प्रारूप में पंजी संधारित की जायेगी, जिसमें अंकों के लिफाफों एवं प्रायोगिक उत्तरपुस्तिकाओं के बण्डल प्राप्त होने का विवरण अंकित किया जायेगा :-

स.क्र.	शाला का नाम	विषय	प्रायोगिक परीक्षा की तिथि	उत्तरपुस्तिका एवं अंकों के लिफाफे जमा करने की तिथि	शाला प्राचार्य/प्रतिनिधि के हस्ताक्षर/नाम/फोन नंबर	समन्वयक संस्था प्राचार्य के हस्ताक्षर/नाम/फोन नंबर

- 5.2 प्रायोगिक परीक्षा के अंकों की प्रविष्टि केवल मण्डल द्वारा उपलब्ध कराये गये फाईल/काउन्टर फाईल (ओ.एम.आर. शीट्स) में ही की जावेगी, अन्य किसी पेपर का इस्तेमाल नहीं किया जायेगा।
- 5.3 अंकों की ओ.एम.आर.की छायाप्रति संबंधित शाला के प्राचार्य द्वारा पृथक सीलबंद लिफाफे में जिले की समन्वयक संस्था के प्राचार्य के पास जमा करावेंगे समन्वय संस्था इन अंकों के लिफाफों को 06 माह तक सुरक्षित रखेंगे।
- 5.4 प्रायोगिक परीक्षा की उत्तरपुस्तिकाओं के विषयवार बण्डल तैयार करके उनके ऊपर निम्न जानकारी स्पष्ट अक्षरों में अंकित की जावें :-

1. परीक्षा का नाम 2. परीक्षा सम्पन्न कराने वाली शाला का कोड क्रमांक, 3. सैद्धांतिक परीक्षा हेतु निर्धारित परीक्षा केन्द्र क्रमांक, 4. विषय, 5. उत्तरपुस्तिकाओं की संख्या, 6. विषय कोड, 7. उपस्थित छात्रों की संख्या, 8. अनुपस्थित छात्रों की संख्या।

विषयवार तैयार किये गये इन बण्डलों में हाईस्कूल परीक्षा के मामले में हरे रंग तथा हायर सेकेंडरी परीक्षा के मामले में लाल रंग के कपड़े में इकट्ठा बण्डल बनाया जाये। बण्डल के ऊपर यह स्पष्ट लिखा जाये कि बण्डल में कौन-कौन से विषय की कितनी-कितनी उत्तरपुस्तिकायें हैं। जिन परीक्षा केन्द्रों पर नियमित तथा स्वाध्यायी दोनों ही प्रकार के छात्रों की प्रायोगिक परीक्षा होना है, उनके हरे एवं लाल रंग कपड़े के बण्डलों के भीतर ही नियमित एवं स्वाध्यायी छात्रों के बण्डल पृथक-पृथक रखे जावें। प्रत्येक बण्डल में उत्तरपुस्तिकायें 200 से अधिक न रखें।

6. पारिश्रमिक एवं मानदेय का भुगतान

- 6.1 प्रायोगिक परीक्षा सम्पन्न कराने के लिए समन्वय संस्था के प्राचार्य/कर्मचारियों को निम्नानुसार मानदेय का भुगतान किया जावें :-

1. समन्वयक संस्था के प्राचार्य को	रुपये 720/- (सात सौ बीस)
2. समन्वयक संस्था के परीक्षा सहायक को	रुपये 300/- (तीन सौ)
3. समन्वयक संस्था के परीक्षा कार्य से संबंधित लिपिक को	रुपये 120/- (एक सौ बीस)
4. समन्वयक संस्था के परीक्षा कार्य से संबंधित भृत्य को	रुपये 85/- (पच्चासी)
5. समन्वयक संस्था में पैकिंग एवं डाक व्यय	रुपये 220/- (दो सौ बीस)

- 6.2 प्रायोगिक परीक्षा सम्पन्न कराने वाले बाह्य एवं आंतरिक मूल्यांकनकर्ता को निम्नानुसार पारिश्रमिक भुगतान किया जायेगा:-

- हायर सेकेंडरी परीक्षा में प्रति छात्र 6/- रुपये प्रति विषय एवं न्यूनतम 100/- प्रति परीक्षक।
- हाईस्कूल परीक्षा में प्रति छात्र 5/- न्यूनतम 100/- प्रति परीक्षक

निरंतर.....3

3. हायर सेकेण्डरी की प्रायोगिक परीक्षा के लिए विज्ञान सहायक/प्रयोगशाला सहायक को दो रुपये प्रति छात्र अथवा रुपये 80/- जो भी अधिक हो का भुगतान किया जायेगा।
4. हाईस्कूल की प्रायोगिक परीक्षा के लिए विज्ञान सहायक/प्रयोगशाला सहायक को 1/- प्रति छात्र अथवा रुपये 60/- जो भी अधिक हो का भुगतान किया जायेगा।

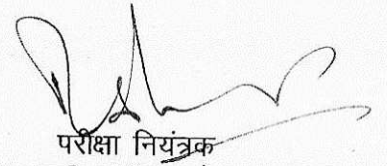
आदेश की प्रतियां समस्त मान्यता प्राप्त संस्थाओं को भिजवाये जाने की कार्यवाही परीक्षा संभाग के द्वारा की जावेगी। वित्त कक्ष के द्वारा प्रायोगिक परीक्षा के संचालन हेतु राशि का आवंटन दिनांक 31/01/2018 तक प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करेंगे।

सी.एस.ओ. डाटा द्वारा प्रायोगिक परीक्षा हेतु संस्थावार/विषयवार छात्र संख्या वित्त अधिकारी को दिनांक 20/01/2018 तक उपलब्ध करावेंगे।

7. अंक प्रेषण हेतु विलंब शुल्क

7.1 अंक प्राप्ति की उपरोक्त निर्धारित तिथियों के उपरांत संस्थाओं के द्वारा नियमित छात्र के अंक दिनांक 03/03/2018 तक ₹2000/- (दो हजार रुपये) प्रति परीक्षा एवं 05/03/2018 तक ₹5000/- (पांच हजार रुपये) प्रति परीक्षा के मान से विलंब शुल्क जमा करने के उपरांत ही अंक जमा किये जावेंगे, इसके पश्चात प्रायोगिक परीक्षा के अंक मान्य नहीं किये जावेगे साथ ही अंक समयावधि में जमा नहीं करने के कारण संस्था की संबद्धता समाप्त करने की कार्यवाही की जावेगी।

अध्यक्ष द्वारा अनुमोदित।



परीक्षा नियंत्रक

माध्यमिक शिक्षा मण्डल

मध्यप्रदेश भोपाल

भोपाल, दिनांक 02/01/2018

पृष्ठांकन क्रमांक/274/गोपनीय/2018
प्रतिलिपि :-

1. आयुक्त, लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश भोपाल।
2. आयुक्त, आदिवासी विकास विभाग, म.प्र. भोपाल।
3. समस्त कलेक्टर/ पुलिस अधीक्षक म.प्र.।
4. निज सचिव/निज सहायक, अध्यक्ष/सचिव/अतिरिक्त सचिव/परीक्षा नियंत्रक माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश भोपाल।
5. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण म.प्र. की ओर सूचनार्थ।
6. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत म.प्र.।
7. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी/सहायक आयुक्त/जिला संयोजक आदिम जाति कल्याण, म.प्र. कृपया अधीनस्थ शालाओं के प्राचार्यों के नाम परिपत्र जारी कर निर्देशित करें कि उनके अधीनस्थ शिक्षक जिन्हें प्रायोगिक परीक्षा का कार्य दिया गया है समय पर प्रायोगिक परीक्षा लें। कृपया प्रायोगिक परीक्षाओं हेतु शालाओं में पर्यवेक्षण की योजनाबद्ध प्रणाली व्यवहृत करें।
8. आंचलिक अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, इन्दौर/समस्त संभागीय अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, म.प्र.की ओर भेजकर लिखा जाता है कि मण्डल मुख्यालय में अंक जमा कराने की निर्धारित तिथि में समस्त परीक्षाओं के अंकों के "डी" एवं "ई" कट्टर को संस्थावार पृथक-पृथक सूची तैयार कर भेजना सुनिश्चित करें।
9. समस्त प्राचार्य, मान्यता प्राप्त संस्थायें/प्रायोगिक परीक्षा समन्वयक शालाएँ (जिला समन्वयक) जिला मुख्यालय (समस्त) मध्यप्रदेश की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित करते हुये अपेक्षित है कि कृपया प्रत्येक परीक्षा के संस्था से प्राप्त अंकों की प्रविष्टि, प्राप्ति तिथि सहित अंकित करें तथा सभी संस्थाओं के अंकों के लिफाफे सूचीबद्ध कर संबंधित संभागीय कार्यालय को क्रमशः दिनांक 27/02/2018 एवं स्वाध्यायी छात्रों के अंक 01/04/2018 तक अनिवार्यतः सौंपे। निर्धारित समयावधि के पश्चात प्राप्त लिफाफे स्वीकार नहीं किये जाएंगे। प्रायोगिक परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं के बण्डल सूचीबद्धकर विषयवार व्यवस्थित कर समन्वयक संस्था में ही रखें जावें।
10. वित्त अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश भोपाल। कृपया समस्त संस्थाओं को प्रायोगिक परीक्षा के संचालन हेतु आवश्यक धनराशि 31/01/2018 तक उपलब्ध कराएँ।
11. चीफ सिस्टम ऑफिसर(सी.एस.ओ.) माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश भोपाल, की ओर प्रेषित करते हुये अनिवार्यतः अपेक्षित है कि हा.से. एवं हाईस्कूल के प्रायोगिक विषयों की संस्थावार, विषयवार छात्र संख्या की सूची वित्त अधिकारी की ओर 20/01/2018 तक उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
12. समस्त पंजीयक/जनसंपर्क अधिकारी/सहायक सचिव परीक्षा, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल आदेश की प्रति समस्त मान्यता प्राप्त संस्थाओं को भेजा जाना सुनिश्चित करें।

परीक्षा नियंत्रक

माध्यमिक शिक्षा मण्डल

मध्यप्रदेश भोपाल